

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूआईडी संख्या: UPFS/2026/200843/BST/BASTI/1437/CFO

दिनांक: 27-05-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Maharikhanwa, Basti** तहसील - **Basti**, प्लॉट एरिया **8918.89 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **5339.18** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **2** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK A	3	0	10.05 mt.
BLOCK B	3	0	10.05 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **28-05-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **GOVIND SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **28-05-2026** से **27-05-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : प्रभारी अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति सहित आख्या के क्रम में शासनादेश संख्या-187 /छ:-पु०-8 -2022/905-34 -201टी०सी०दिनांक07 -01 -2022 एवं उ0प्र0अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली-2024 के उपबन्धों के आधार पर निर्गत।

1. भवन स्वामी द्वारा प्रत्येक 06 माह में फायर इवेकेशन / माकड्रिल व अग्निशमन प्रशिक्षण स्थानीय फायर स्टेशन प्रभारी के पर्यवेक्षण में कराकर रिकार्ड रखें जायेंगे
2. फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0 / मरम्मत अर्ह एजेंसी से कराया जाये।
3. विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
4. मैसर्स द्वारा भवन के ढांचे में परिवर्तन(अतिरिक्त निर्माण/अधिभोग) करने से पूर्व सम्बंधित विभाग से पूर्वानुमति लेकर ही कराया जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(YATINDRA NATH)

[3AE69CB8601B8602CFB2507A69D0EF386F719C3D]

28-05-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 28-05-2026
स्थान : BASTI

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/200216/BST/BASTI/1426/CFO
दिनांक : 22-05-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **SARASWATI SHISHU MANDIR PURVA MADHYAMIC VIDAYLAYA** पता **SARASWATI SHISHU MANDIR PURVA MADHYAMIC VIDAYLAYA, MAHARIKHANWA, BASTI** तहसील - **BASTI** प्लॉट एरिया **8918.89 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **5339.18** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL	3	0	10.05 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **SARASWATI SHISHU MANDIR PURVA MADHYAMIC VIDAYLAYA** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **25-05-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SURENDRA** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **25-05-2026** से **24-05-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **SARASWATI SHISHU MANDIR PURVA MADHYAMIC VIDAYLAYA** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **SARASWATI SHISHU MANDIR PURVA MADHYAMIC VIDAYLAYA** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : शासनादेश संख्या-187 /छ:-पु०-8 -2022/905-34 -201टी०सी०दिनांक07 -01 -2022 एवं उ0प्र0अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली-2024 के उपबन्धों के आधार पर निर्गत।

1. भवन स्वामी द्वारा प्रत्येक 06 माह में फायर इवेक्शन / माकड्रिल व अग्निशमन प्रशिक्षण स्थानीय फायर स्टेशन प्रभारी के पर्यवेक्षण में कराकर रिकार्ड रखें जायेंगे
2. फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0 / मरम्मत अर्ह एजेंसी से कराया जाये।
3. विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
4. मेसर्स द्वारा भवन के ढांचे में परिवर्तन(अतिरिक्त निर्माण/अधिभोग) करने से पूर्व सम्बंधित विभाग से पूर्वानुमति लेकर ही कराया जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

YATINDRA NATH

3AE69CB8601B8602CFB2507A69D0EF386F719C3D

25-05-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 25-05-2026
स्थान : BASTI

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.